न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 05/2015

राज्य बनाम मो० कौशर एवं अन्य

आदेश

21.1.17

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक 1574 सपत्र मो0 दिनांक– 12.05.2015 से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिनांक– दिनांक– 24.03.2016 को गुप्त सूचना के आधार पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सवर, सहरसा एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर, सहरसा के साथ संयुक्त रूप से सुबेदारी टोला, वार्ड नं0–39, सहरसा स्थित मो० रूस्तम एवं मो० कौशर दोनों पिता– मा० सैफुल के पक्का गोदाम (मे० कैप्टन अन्न भंडार) में छापामारी की गयी। छापामारी के क्रम में 50 किलोग्राम वाला 200 बोरी चावल बरामद हुआ, जिसके बोरे पर भारत सरकार, सेंट्रल पुल फुड ग्रेंस अंकित सभी बोरे में हरियाना राईस (F.C.I.) जगदम्बा राईस मिल खिजरावाद चावल अरवा ग्रेड–A का टैग लगा हुआ है तथा सभी बोरा लाल रंग के आगे से मशीन सिलाई किया हुआ तथा 50 किलोग्राम वाला उनचालीस बोरा में अरवा चावल जिसमें हाथ की सिलाई किया हुआ है कुल 200 + 39 = 239 x 50 Kg यानि 119.5 क्वींटल तथा गेहूँ 50 किलोग्राम वाला 400 बोरा जिस पर भारतीय खाद्य निगम अंकित सभी बोरा उजले रंग का प्लास्टिक का बोरा है, 80 बोरा बट्टी का है, जो पचास किलोग्राम वाला जिसकी सिलाई हाथ से किया हुआ है कुल चावल 400 + 80 = 480 X 50 kg = 240 क्वींटल स्थल पर पकडे गये मो० कौशर से पूछने पर बताया गया कि गोदाम मेरे एवं मेरे भाई रूस्तम के नाम से है और उक्त गोदाम में खाद्यान्न को खरीद बिक्री का कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, परन्तु मेरे पिता मो० सैफुल पिता– स्व० हैयुल जो जन वितरण प्रणाली दूकानदार है की जान–पहचान राजेश गुप्ता, पिता– वरितर साह, शिवपुरी सहरसा से है। इन दोनों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम का खाद्यान्न मंगाते है तथा उलट–पलट कर पुनः माल को अन्यत्र कालाबाजारी में बेच देते है। तदोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सहरसा थाना मे प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका काण्ड संख्या–' 210/15 दिनांक– 25.02.2015 दर्ज है। जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहित करते हुए (1) मो० कौशर, (2) मो० रूस्तम दोनों पिता– मो० सैफुल, (3) मो० सैफुल, पिता– स्व० हैयुल तीनो साकिन– सहरसा बस्ती, वार्ड नं०– 31 एवं (4) राजेश गुप्ता, पिता– वरितर साह, शिवपुरी सभी थाना व जिला– सहरसा को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस तामिला करवाया गया।

21.1.17

प्रतिपक्षी मो० कौशर, मो० रूस्तम ने सहरसा थाना काण्ड सख्या– 210/15 में जप्त खाद्यान्न से कोई सरोकार नहीं है न हीं उक्त खाद्यान्न पर दावा करते हैं। प्रतिपक्षी संख्या– 3 मो० सैफुल का कहना है कि व प्रतिष्ठित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता है तथा इनके विरूद्ध आज तक किसी भी प्रकार का शिकायत कहीं दर्ज नहीं है। शक के आधार पर सो–विचार कर राजनीति के तहत काण्ड में फँसाया गया है तथा जप्त खाद्यान्न से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या–4 राजेश गुप्ता उर्फ राजेश साह का भी कथन है कि खाद्यान्न विपक्षी के पास से न तो बरामद हुआ है, और न उससे विपक्षी को कोई सरोकार ही हैं।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुपस्थित। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रतिपक्षी चारो ने अपने–अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि बरामद खाद्यान्न से उन्हें कोई सरोकार नहीं है कारण–पृच्छा स्वीकार किया जाय।

अतएव प्रतिपक्षी द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा को स्वीकार करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि अधिग्रहित 200 + 39 = 239 x 50 Kg यानि 119.5 क्वींटल चावल तथा 400 + 80 = 480 X 50 kg = 240 क्वींटल गेहूँ को जन वितरण प्रणाली के दूकानदार के माध्यम से निर्धारित दर पर बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। अनुमण्डल पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपराधिक वाद में आवश्यक साक्ष्य हेतु नमूना संरक्षित कर लिया जाय।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

21.1.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

21.1.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 223-2 / विधि। दिनांक 09-2-17

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा
9-2-17

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय
सहरसा